



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Rakesh Singh** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या.224 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (In Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	समर्थ सिंह चौहान	श्री विवेक सिंह चौहान Mob: 8770209627	8	गढ़ा जबलपुर
2	रज बावरिया	श्री जयकृष्णा बावरिया Mob: 7805882086	1	नं. 1 एस.टी.सी. जबलपुर (SHIFT-I)
3	दीप्ती मिश्रा	श्री आशीष मिश्रा Mob: 9993916147	2	गढ़ा जबलपुर
4	सिद्धि सेनी	श्री सुशील कुमार सेनी Mob: 9425867183	9	नं. 1 जी.सी.एफ. जबलपुर
5	सौम्या हिराऊ	श्री नितिन हिराऊ Mob: 7974754859	1	गढ़ा जबलपुर
6	अम्बर गौतम	श्री संदीप कुमार Mob: 8823013100	2	वी.एफ.जी. जबलपुर (SHIFT-I)
7	आशिम नामदेव	श्री मुकेश कुमार Mob: 8959520211	1	टी.एफ.आर. आई. जबलपुर
8	आराध्या शुक्ला	श्री आशीष कुमार Mob: 9425357204	1	नं. 1 जी.सी.एफ. जबलपुर
9	महिम सेनी	श्री मनीष कुमार Mob: 7691943199	1	नं. 1 एस.टी.सी. जबलपुर
10	अनुष्का जैन	श्री आलोक जैन Mob: 9826632545	9	नं. 2 जी.सी.एफ. जबलपुर

कृ० पृ० उ०
A. 01/02


निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

(iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. **Shri Rakesh Singh** माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **JABALPUR** संभाग को सूचनार्थ। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)